प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 09.09.2025

- **थाना बरौर पुलिस द्वारा रात्रि गश्त करते हुए संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग के दौरान 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमन्चा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर हुए बरामद।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 09.09.2025 को थाना बरौर पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान थाना बरौर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 39/2025 धारा 196(1)(a) भारतीय न्याय संहिता 2023 में नामजद अभियुक्त इलियास पुत्र सुबराती निवासी ग्राम कैलई, थाना बरौर, जनपद कानपुर देहात को मय 01 अदद तमन्चा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ दिनांक 09.09.2025 को समय 03.45 बजे कलेनापुर मोड से 50 मीटर आगे देवीपुर की तरफ के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के द्वारा धर्म/जाति की धार्मिक सद्‌भाव को बिगाडने व साम्प्रदायिक उन्माद को बढाने के लिये पोस्टर पर पाकिस्तान का झण्डा चश्पा किया गया है, जिसके सम्बन्ध में थाना बरौर पर अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बरौर पर मु0अ0स0 40/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-पता-

इलियास पुत्र सुबराती, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम कैलई, थाना बरौर, जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण-

01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि हम व हमारे अन्य सहयोगियो ने बाराबफात जुलूस के बाद पोस्टर पर पाकिस्तान का झण्डा लगाकर पोस्टर गाँव में चश्पा किये थे, जिसमें पुलिस गाँव आयी थी, और व हमारे पिता को तलाश कर रही थी, इसलिये मै तमंचा व कारतूस अपनी सुरक्षा के लिये लेकर पुलिस के डर से अपने घर से निकलकर अपनी रिश्तेदारी में गजनेर जा रहा था।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 39/2025 धारा 196(1)(a) बीएनएस, थाना बरौर, जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0स0 40/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना बरौर, जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना बरौर पुलिस